

1202  
27/6/12

रूप क्रमांक 4  
(देखिये नियम 12)



छत्तीसगढ़ शासन

### समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक बि० सं० 2836

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति सजल (सोसायटी प्रा  
DPS हा० से स्कूल स्थित है एडवोकेटिंग जरिस्ट्र एण्ड लिक्लीड्स  
जशपुर तहसील में जशपुर

जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह सजल एजुकेशन  
सोसायटी, डी०पी० एस० नाम से छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण  
हा० से स्कूल, जशपुर

अधिनियम, 1973 ( सन् 1973 का क्रमांक 44 ) की धारा 13 की उप-धारा (2)  
के अधीन पंजीयित की गई है ।

दिनांक पच्चीस माह जून सन् 200 2012



(अजय चौबे)  
समितियों के रजिस्ट्रार

कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं  
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

क्रमांक / रि. / / 164  
प्रति,

बिलासपुर दिनांक 28/7/17

अध्यक्ष/सचिव

संजल संयुक्त कृषि संस्थान सोसायटी  
जयपुर

विषय : अधिनियम की धारा 27 के संबंध में।

संदर्भ :- आपकी ओर से प्राप्त पत्र/जानकारी दिनांक 28/07/2017

संस्था संजल संयुक्त कृषि संस्थान सोसायटी जयपुर पंजीयन  
क्रमांक 2836 दिनांक 01/05/2000 पर पंजीयक है, जिस पर छत्तीसगढ़ सोसायटी  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित नियम 1998) के समस्त प्रावधान प्रभावशील है।

संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 19/05/17 की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय  
में दिनांक 28/07/17 को प्रस्तुत की गयी है। उक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत संलग्न कार्यकारिणी  
सूची में निम्नांकित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नामों का उल्लेख है -

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्रीमति सुनिता सिंहा	अध्यक्ष
2.	श्री अबुल मेहता	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति मेखला	सचिव
4.	श्री ओमप्रकाश सिंहा	सह. सचिव
5.	श्रीमति गीता निगम	कोषाध्यक्ष
6.	कु. प्रेमशशि तिवारी	सदस्य
7.	श्रीमति जयन्ती सिंहा	सदस्य

अमरपाल  
(अजय शर्मा)  
सहायक पंजीयक  
संस्थाएं बिलासपुर संभाग

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50

भारत



INDIA

FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

S 936890



*Handwritten signature in blue ink*

(अजय चौबे)  
सहायक पंजीयक  
कर्म एवं संस्थाएँ सरगुजा (छ.ग.)